(ii) जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से नीचे है, उन्हें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 20 प्रतिशत

(iii) कर उपलब्धि के आधार पर 10 प्रतिशत

(iv) राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए 10

चूंकि केन्द्रीय सहायता निष्पक्ष दृष्टि से सूत्रबद्ध मापदंड के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, अतः राज्यों को ऋण मंजूर करने में उनके बीच असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 1985 के अन्त से सितम्बर, 1988 के अन्त तक बैंक ऋण में वृद्धि 68.9% थी जो 41% की अखिल भारतीय वृद्धि दर से अधिक थी । तथापि, बैंकों को ऋण विस्तार में विभिन्न राज्यों के बीच भारी असमानता से बचने को सुनिश्चित करने तथा कमी वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई है । इन नीतियों का उद्देश्य बैंक अवसंरचना में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा ऋण प्रवाह कराए रखना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं, जिला ऋण योजनाएं और "लीड बैंक स्कीम" तैयार करने के संबंध में मार्ग-निर्देश तैयार किए जाते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पर सीमा शुल्क का समाप्त किया जाना

3501. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे पुरस्कारों, पर से, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों,, कलाकारों और खिलाड़ियों ने जीते जाते हैं, सीमा शुल्क और अन्य कर समाप्त करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को, जो हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, क्या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) भारत सरकार के अनुमोदन से अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेकर भारतीय टीमों द्वारा जीते गए विभिन्न कपों व ट्राफियों पर तथा भारतीय टीम के अलग-अलग सदस्यों द्वारा जीते गए पुरस्कारों, मैडलों व ट्राफियों पर सीमा शुल्क संबंधी रियायतें उपलब्ध हैं ।

वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य/उपलब्धि के लिए अथवा क्रीड़ाओं और खेलों में दक्षता के लिए, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए अथवा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुरस्कार आयकर से मुक्त हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Relaxations under duty exemption scheme

3502. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any modifications have been announced recently relaxing the Policy governing the duty exemption scheme;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what benefits would accrue to the exporters therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (c) The Import-Export Policy is kept constantly